दस रुपये TEN RUPEES

# माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

340

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– 1 /2012 R-4156-II/12

1. शिबुआ तनय तुलसिया अहिरवार
2. मलोरा तनय डरू अहिरवार,
3. खरा तनय खुमना अहिरवार
4. ढिल्लू उर्फ टिल्लू तनय भुमानिया अहिरवार
5. कमला तनय मकुन्दा अहिरवार
6. करन्जुआ तनय मकुन्दा अहिरवार
7. दुर्जना तनय मकुन्दा अहिरवार
8. छन्दी तनय करिया अहिरवार
9. सुरेश, महेश, रमेश तनय बाबू अहिरवार

निवासीगण–ग्राम कोटरा, तह. खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

श्री आर.डी. शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 7-12-12 को प्रस्तुत

क 7-12-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

–––आवेदकगण

बनाम

1. हरिदास तनय भैयन वैश्य असाटी
2. प्रभु तनय छन्नू वैश्य असाटी
3. राम तनय छन्नू असाटी
4. राजू तनय छन्नू असाटी
5. रामस्वरूप तनय छन्नू असाटी

निवासीगण–ग्राम कोटरा, तह. खरगापुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

7-12-12

–––अनावेदकगण

<u>निगरानी प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय बलदेवगढ़, अपील क्रमांक 26/2011/12, निर्णय दिनांक 11/10/2012 के विरूद्ध अन्तर्गत धरा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ।</u>

rd-1com-3

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

**प्रकरण क्रमांक- निग.-4156-दो/2012** जिला-टीकमगढ़

शिबुआ आदि **विरूद्ध हरिदास आदि**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 09-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।<br>3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़, के प्रकरण क्रमांक 26/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 11-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-12-2012 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया | |

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 9/01/19
सदस्य